न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 148/2020

प्रार्थीगण

1. श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र स्व. श्री जयन्तीलाल जाति जैन निवासी रोहिडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
2. श्री भावेश पुत्र स्व. श्री जयन्तीलाल जाति जैन निवासी रोहिडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
3. श्रीमती तरूणा बेन पुत्री स्व. श्री जयन्तीलाल जाति जैन निवासी रोहिडा जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. ग्राम पंचायत आदर्श जरिये ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत आदर्श, पचायत समिति पिण्डवाडा जिला सिरोही।
2. विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा
3. श्री दिनेश कुमार पुरोहित पुत्र श्री किशोरिंगजी निवासी आदर्श तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
4. श्रीमती शारदादेवी पुरोहित पत्नि श्री दिनेश कुमार निवासी आदर्श तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
5. श्री मिलापसिंह पुत्र श्री खेमसिंह निवासी बसन्तगढ तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
6. श्री रूपसिंह पुत्र श्री खेमसिंह निवासी बसन्तगढ तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
7. श्री छैलसिंह पुत्र श्री दशरथ सिंह निवासी बसन्तगढ तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
8. श्री कालूसिंह पुत्र श्री मंगलसिंह निवासी बसन्तगढ तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
9. श्री कानाराम बंजारा पुत्र श्री नरसिंग निवासी रामपुरा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
10. श्री अभयसिंह पुत्र श्री कालूसिंह निवासी बसन्तगढ तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
11. श्री मगाराम रेबारी पुत्र श्री जवानाराम निवासी बसन्तगढ तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
12. श्रीमती सुखीदेवी रेवारी पत्नि श्री भगाराम निवासी बसन्तगढ तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
13. श्री दलपतराम [illegible] तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
14. श्री कालूराम [illegible] पिण्डवाडा जिला सिरोही।
15. श्रीमती सुशीला [illegible] तहसील [illegible] जिला सिरोही।
16. श्री पुनाराम रेवारी पुत्र श्री भगवानजी निवासी रामपुरा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.27 12:13:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

17. श्री वेलाराम पुत्र श्री देवाराम निवासी रामपुरा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
18. श्रीमती पोपटदेवी सरगडा पत्नि श्री दलपतराम निवासी बसन्तगढ़ तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
19. श्रीमती चम्पा रेबारी पत्नि श्री पुनाराम रेबारी निवासी रामपुरा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
20. श्री भीमाराम मेघवाल पुत्र श्री सीताराम निवासी आदर्श तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
21. श्री पीराराम रेबारी पुत्र श्री भगवानजी निवासी रामपुरा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
22. श्रीमती हौजी रेबारी पत्नि श्री भगवानजी रेबारी निवासी रामपुरा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
23. श्री दशरथसिंह पुत्र श्री रतनसिंह निवासी बसन्तगढ़ तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
24. श्रीमती नाथकीदेवी भील पत्नि श्री वेलाराम निवासी रामपुरा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
25. श्री योगेशसिंह पुत्र श्री बजरंगसिंह निवासी बसन्तगढ़ तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
26. श्री सायरसिंह पुत्र श्री बजरंगसिंह निवासी बसन्तगढ़ तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
27. श्री विनोद कुंवर पत्नि श्री सायरसिंह निवासी बसन्तगढ़ तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
28. श्री जितेन्द्रसिंह पुत्र श्री रतनसिंह निवासी बसन्तगढ़ तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
29. श्री महिपालसिंह पुत्र श्री दौलतसिंह निवासी बसन्तगढ़ तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
30. श्रीमती सन्तोष कुंवर पत्नि श्री श्रवणसिंह निवासी बसन्तगढ़ तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
31. श्री शेरसिंह पुत्र श्री बजरंगसिंह निवासी बसन्तगढ़ तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
32. श्री महेन्द्रसिंह पुत्र श्री हीरसिंह निवासी बसन्तगढ़ तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
33. श्रीमती किरण कुंवर पत्नि श्री दशरथसिंह निवासी बसन्तगढ़ तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
34. श्रीमती स्वरूप कुंवर पत्नि श्री शेरसिंह निवासी बसन्तगढ़ तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
35. श्री श्रवणसिंह पुत्र श्री बजरंगसिंह निवासी बसन्तगढ़ तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
36. श्री पोपटसिंह पुत्र श्री वीरसिंह निवासी बसन्तगढ़ तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
37. श्री पुष्पेन्द्रसिंह पुत्र श्री चन्दनसिंह निवासी बनास तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
38. श्री अभिमन्युसिंह पुत्र श्री चन्दनसिंह निवासी बनास तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.27 12:13:52 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थिति :–

1. श्री जयकृष्णा दवे एवं छगनसिंह पंवार, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री अश्विन मरडिया, अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से।

निर्णय **दिनांक 02.03.2021**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने यह निगरानी प्रार्थना–पत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत अप्रार्थी संख्या एक द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 से 38 तक के हक में जारी संकल्प संख्या 02 दिनांक 06.04.2011 को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगणों की ओर से श्री अश्विन मरड़िया द्वारा वकालतनामा पेश कर उपस्थिति दी एवं जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया। प्रकरण में दोनो पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई ।

प्रार्थीगण की ओर से लायक अधिवक्ता श्री जयकृष्णा दवे एवं छगनसिंह पंवार ने दौराने बहस मेरा ध्यान प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 03 से 38 को नियमो के विपरित पट्टे जारी किए है। पंचायत के अभिलेख मे भूमि के विक्रय के संबंध मे मिसल दायर दर्ज नहीं की गई है तथा पट्टे मे भी मिसल संख्या एवं दिनांक गलत दर्ज की गई है। आपत्ति नोटिस जारी नहीं किया गया है। अप्रार्थी संख्या 3 से 38 अति निर्धन होने एवं अन्य कोई भूखण्ड नही होने का कोई उल्लेख नहीं है। शिकायत प्रस्तुत होने पर जांच के आधार पर ही निगरानी प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। पंचायत द्वारा नियमों की अवहेलना कर पट्टा जारी किया गया है, इस कारण पंचायत को आर्थिक क्षति हुई है। पंचायत स्तर पर नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित कार्यवाही, जांच सम्पन्न नहीं की गई है। अप्रार्थी संख्या 3 से 38 को नियम 157(1)ख के तहत पट्टा प्राप्त करने की पात्र व्यक्ति नही थे।

अप्रार्थी के लायक अधिवक्ता श्री अश्विन मरडिया द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान निगरानीं मे प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि पंचायत द्वारा प्रस्ताव लेकर अप्रार्थी संख्या 03 से 38 को नियम 157(1)ख के तहत पुराने मकान का पट्टा शुल्क लेकर जारी किया गया है जो नियमानुसार सही है । इस संबंध मे उन्होंने दौराने बहस निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या–एक द्वारा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियमो के तहत कार्यवाही कर ही पट्टा जारी किया गया है ।

अप्रार्थी संख्या–03 से 38 द्वारा इस संबंध मे कोई अनियमितता पट्टा प्राप्त करते समय नही की गई है। विवा[illegible]ना मकान बना हुआ था। अतः पट्टा जारी करने मे राजस्थान पंचायत [illegible] राज.जयपुर के दिशा निर्देशों की पालना की गई है। अनि[illegible]निगरानी म्याद बाहर होने से अपरिपोषणीय [illegible] राजस्थान सरका[illegible] दिशा–निर्देश पंचायती राज के नियम नही है। अप्रार्थी संख्[illegible] पंचायती राज विभाग के दिशा–निर्देशों की पालना की [illegible] निर्देश की श्रेणी मे आते है । राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा–61 के तहत अधीनस्थ पंचायत के आदेशों के विरूद्ध अपील आदेश के 30 दिनों के भीतर पंचायत समिति को करनी चाहिए थी। पंचायत प्रसार अधिकारी को जांच करने का कोई अधिकार नही था। उनके द्वारा की

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.27 12:13:52 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

गई जांच सर्वथा गलत एवं बेबुनियाद है। अन्त मे अपने जवाब प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों की ओर मेरा ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि गलत तथ्यो के आधार पर निगरानी प्रस्तुत की गई है। अतः निगरानी प्रार्थना पत्र अपरिपोषणीय होने से खारिज किया जावे। इस संबंध मे उनके द्वारा ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की अधिसूचना क्रमांक/1166 दिनांक 9.4.2007 एवं प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास एंव पंचायतीराज विभाग जयपुर द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त राजस्थान को लिखे पत्रांक 1349 दिनांक 21.4.2007 की फोटो प्रति प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि अधिसूचना दिनांक 9.4.2007 द्वारा संशोधन करते हुए राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 157(1)ख जोड़ा गया है जिसके अन्तर्गत–

157.–पुराने गृहों का विनियमितिकरण– जहाँ व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते है और पट्टा जारी कराने के इच्छुक वहां उन्हें निम्नलिखित प्रभार निक्षिप्त कराने के पश्चात् प्ररूप 23 क में पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा–

1. 300 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के लिए या 300 वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल के अध्यधीन रहते हुए 25 प्रतिशत सनिर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुए सनिर्मित क्षेत्रफलः

ख. (31 दिसम्बर 2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षों के दौरान) = 200 रूपये सनिर्मित पुराने गृहों के लिए।

अन्त में विधिक दृष्टान्त डीएनजे 1999 पेज 781, 437 डीएनजे 1996 पेज 100 आरजेटी 2016(1) पेज 99 प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावे ।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया । प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 38 की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं पत्रावली का भलिभाँति नियमों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो निष्कर्ष निम्न प्रकार है :–

जहाँ तक अप्रार्थी संख्या 01 से 38 के लायक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का प्रश्न है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत निगरानी पेश करने हेतु कोई अवधि निर्धारित नही है । किसी पंचायती राज संस्था के विनिश्चिय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता के बारे में या ऐसी कार्यवाहियों के बारे में स्वंय का समाधान करने एवं उसकी परीक्षा स्वप्रेरणा से करने के राज्य सरकार के अधिकार जिला कलक्टर को प्रदत्त है ।

अप्रार्थी संख्या 03 से 38 को उक्त पट्टे ग्राम पंचायत, आदर्श डूंगरी द्वारा पंचायत के संकल्प संख्या 02 दिनांक 06.04.2011 से नियमो की अवेहलना कर 200/– रूपये की राशि प्रति पट्टा वसूल कर पट्टे जारी किए गए है। राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(1)ख के अनुसार–

जहाँ व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते है और पट्टा जारी कराने के इच्छुक वहां उन्हें निम्नलिखित प्रभार निक्षिप्त कराने के पश्चात प्ररूप 23 क में पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा–

1. 300 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के लिए या 300 वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल के अध्यधीन रहते हुए 25 प्रतिशत सनिर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुए सनिर्मित क्षेत्रफलः

ख. (31 दिसम्बर 2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षों के दौरान) = 200 रूपये सनिर्मित पुराने गृहों के लिए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.27 12:13:52 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

जहां तक अप्रार्थी संख्या 01 से 38 के लायक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र देरी से प्रस्तुत किया गया है इस संबंध मे उनके द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टान्त डीएनजे 1999 पेज 781, 437 डीएनजे 1996 पेज 100 आरजेटी 2016(1) पेज 99 एसएआर 1997 पेज 783, आरएलडब्लू 1999(3) राजस्थान पेज 1390, आरएलडब्लू 1997(3) राजस्थान पेज 1567 मे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 धारा 97 का प्रयोग करते समय परिसीमा अधिनियम, 1963, अनुच्छेद 137 के अधीन पुनरीक्षण शक्तियों का उपयोग करने हेतु राज्य सरकार की शक्तियाँ जिला कलेक्टर को दी गई है । राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत परिसीमा की अवधि के प्रावधानों के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा पुनरीक्षणीय शक्तियों का प्रयोग अभिनिर्धारित न्यायोचित अवधि के भीतर करने का निर्णय दिया गया है साथ ही न्यायोचित अवधि प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करेगी ।

अप्रार्थी संख्या 01 से 38 के अधिवक्ता द्वारा यह प्रार्थना पत्र देरी से प्रस्तुत किये जाने का कथन है, कि यह निगरानी प्रार्थना पत्र 9 साल बाद प्रस्तुत किया है अप्रार्थी संख्या 01 से 38 का यह कथन सत्य है, किन्तु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी प्रस्तुत विधिक दृष्टान्तों मे पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करने मे प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करना माना गया है, एवं ऐसे प्रकरण मे भी समयावधि के बारे मे उचित अवधि का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। अप्रार्थिया संख्या दो महिला है एवं राज्य सरकार के अधिसूचना दिनांक 9.4.2007 से राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 में नई धारा 157(1)ख जोडी गई है जिसके अन्तर्गत जहाँ व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते है और पट्टा जारी कराने के इच्छुक वहां उन्हें निम्नलिखित प्रभार निक्षिप्त कराने के पश्चात् प्रारूप 23 क में पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा–

1. 300 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के लिए या 300 वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल के अध्यधीन रहते हुए 25 प्रतिशत सनिर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुए सनिर्मित क्षेत्रफलः

(ख). (31 दिसम्बर 2016 के ठीक पूर्ववर्त्ती सत्तर वर्षों के दौरान) = 200 रूपये सनिर्मित पुराने गृहों के लिए।

उक्त प्रकरण में इसकी पालना की नहीं गई है। पंचायत द्वारा यह पट्टा नियम 157(1)ख के तहत दिया गया है। नियम 157(1)ख के तहत पुराने आवास गृहों का पट्टा दिए जाने का प्रावधान है एवं अधिकतम 300 वर्गगज (2700 वगफुट) पुराने झोपडों/बाडों का पट्टा नियमों में जारी किए जाने का प्रावधान है परन्तु पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड के अनुसार ऐसा कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है कि अप्रार्थी संख्या 3 से 38 का कब्जा एवं उस पर किया गया आवासीय निर्माण दिनांक 27.06.2011 से पूर्व का पाया जाता हो एवं अप्रार्थी संख्या 05, 06, 07, 08, 10, 11, 28, 29, 32, व 34 को 300 वर्गगज (2700 वगफुट) से कहीं अधिक क्षेत्रफल का पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। प्रार्थीगण के पिता स्व. जयन्तिलाल के विरूद्ध प्रस्तुत शिकायत की जांच तहसीलदार पिण्डवाडा के आदेश क्रमांक 865 दिनांक 09.08.1995 की पालना में दिनांक 30.08.1995 को तत्कालीन पटवारी ह[illegible] एवं दूसरी जांच तहसीलदार पिण्डवाडा के आदेश क्रमांक 216 दिनांक [illegible] की पालना में तत्कालीन पटवारी हल्का आदर्श डूंगरी द्वारा [illegible] 27.09.1995 [illegible] पर तहसीलदार पिण्डवाडा द्वारा धारा 90(ए) सपठित धारा 91 राजस्थान भू–र[illegible] अधिनियम 1996 के तहत मुकदमा संख्या 251/95 दर्ज किया जाकर उसका निर्णय 09.01.1996 को किया गया जिसमें उक्त भूमि पर कब्जा प्रार्थीगण के पिता श्री जयन्ति[illegible] का पाया जाने पर निर्माण सामग्री इत्यादि जब्त की गई एवं बिना रूपान्तरण कराये निर्माण करने पर भारतीय खाद्य निगम गोदाम बनाया जाना बताया गया जिसके विरूद्ध जिला कलक्टर सिरोही के न्यायालय में अपील संख्या 08/1996 दर्ज होकर दिनांक 16.06.1998 को निर्णित हुई। उक्त दोनों

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.27 12:13:52 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

निर्णयों मे उक्त विवादित भूमि पर किसी तरह का कोई झोपडा/बाडा/कब्जा पट्टेधारियों नहीं बताया गया है। अतः ऐसी स्थिति मे पट्टेधारी का पट्टा खारिज कर उसे मौके से बेदखल करना न्याय संगत होगा। सरपंच, ग्राम पंचायत, आदर्श डूंगरी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख में भी नियमों की अवहेलना कर ग्राम पंचायत, आदर्श डूंगरी को आर्थिक क्षति पहुँचाया जाना पाया जाता है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर संकल्प संख्या 02 दिनांक 06.04.2011 की पालना में मौजा कोदरला में ग्राम पंचायत आदर्श डूंगरी द्वारा जारी समस्त पट्टे जो अप्रार्थी संख्या 03 से 36 को जारी किए गए थे जिस पर आज भी कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया है। अतः यह नियम विरूद्ध पाए जाते है एवं इन समस्त भूखण्डों को अप्रार्थी संख्या 37 व 38 को विक्रय किया गया था, को निरस्त किया जाता है। इस प्रकरण में दो जांचे रिपोर्ट पंचायत समिति पिण्डवाडा की ओर से प्रस्तुत की गई है। प्रथम जांच रिपोर्ट विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा द्वारा जरिये पत्र क्रमांक 117 दिनांक 22.12.2017 को भिजवाई गई एवं द्वितीय जांच रिपोर्ट मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सिरोही द्वारा जरिये पत्र क्रमांक 50 दिनांक 11.01.2018 प्रस्तुत करने का उल्लेख है, जिसमें बताया गया है कि समस्त पट्टे विधिवत् रूप से नियमानुसार जारी किए गए है। जांच रिपोर्टो को गहनता से देखने पर यह पता चलता है कि जांच रिपोर्ट अनुसार जांच रिपोर्ट के पेज नम्बर 3 के पैरा. नम्बर 2 में यह उल्लेखित किया गया है कि यह सभी पट्टे नियम 157(2) के तहत जारी किए गए है। नियम 157(2) में यह स्पष्ट उल्लेख है कि ऐसे परिवार, जिनके पास कहीं भी कोई गृह या गृह–स्थल नहीं है और जिनका वर्ष 2003 तक झुग्गी–झोंपडी/कच्चे गृह के निर्माण के तौर पर आबादी भूमि पर कब्जा है, अधिकतम 300 गज तक कब्जे के मुफ्त विनियमितिकरण के हकदार होंगे। ऐसी भूमि का पट्टा (प्ररूप 23ख में) ऐसी महिला के नाम से जारी किया जायेगा जो ऐसे परिवार की मुखिया हो। लेकिन नियम 157(2) के अनुसार कहीं पर भी कच्चे निर्माण/झुग्गे–झोंपड़ा का होना पत्रावली पर कहीं पर भी मौजूद नहीं है। साथ ही अगर नियम 157(2) की मंशानुसार यदि ऐसे जरूरतमंद परिवार की महिला मुखिया को पट्टा जारी किया जाता है तो 6 माह के भीतर–भीतर सभी पट्टाधारी लोग केवल दो व्यक्तियों को बेचकर कहीं और चले जाए यह तार्किक रूप से सम्भव नहीं है। इससे पट्टा जारी करने के पीछे बदनियता साबित होती है। उल्लेखनिय तथ्य यह भी है कि यह पट्टे नियम 157(2) के तहत जारी न करके नियम 157(ख) का उल्लेख है। दोनों ही परिस्थितियों में पट्टे नियम विरूद्ध पाए जाते है। यह न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से उक्त जांच रिपोर्टो से सहमत नहीं है। नियम विरूद्ध गलत जांच रिपोर्ट पेश करने के लिए तत्कालीन विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा/पंचायत प्रसार अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा एवं ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत आदर्श डूंगरी के विरूद्ध राजस्थान सेवा नियमों के तहत विभागीय कार्यवाई अमल में लाई जाने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सिरोही को निर्देश दिए जाते है कि जांच कर दोषियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाई करने हेतु राज्य सरकार को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 02.03.2021 को खुले न्यायालय में डिक्टेट कराया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.27 12:13:52 IST
Reason: SelfAttested

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner